भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 533] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2008/आश्विन 8, 1930
No. 533] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2008/ASVINA 8, 1930

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 700(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 के नियम 9 में, "विद्युत मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के समक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 46/7/2007-आर एंड आर]

मलय श्रीवास्तव, निदेशक

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में, तारीख 13 अप्रैल, 2004 को सा.का.नि. 259(अ) तारीख 13 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2008

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2004, in Rule 9, the words "before the Minister in charge of the Ministry of Power" shall be omitted.

[F. No. 46/7/2007-R&R]

MALAY SHRIVASTAVA, Director

Note : The Principal Rules were published vide G.S.R. 259(E), dated the 13th April, 2004 in the Gazette of India dated the 13th April, 2004.

3787 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 2011/माघ 2, 1932
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 2011/MAGHA 2, 1932

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

फा. सं. 23/17/2009-आर एंड आर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशुल्क नीति अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खंड 1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के संकल्प फा. सं. 23/2/2005-आर एंड आर (खंड-III), जिसे बाद में दिनांक 31 मार्च, 2008 के संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया गया है—

निम्नलिखित प्रावधान पैरा 6.4 के शीर्षक तथा पैरा 6.4(1) की विषय-वस्तु को प्रतिस्थापित करेंगे—

"6.4 सह-उत्पादन सहित ऊर्जा उत्पादन के गैर-परम्परागत तथा नवीकरणीय स्रोत :

(1) अधिनियम की धारा 86(1)(ङ) के प्रावधानों के अनुसरण में समुचित आयोग क्षेत्र में ऐसे स्रोतों की उपलब्धता तथा रिटेल टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम प्रतिशत भी रखेगा, जो 2012-13 के अंत तक 0.25% तक होगा और 2022 तक बढ़कर 3% तक होगा ।

(ii) यह वांछनीय है कि ऊर्जा के गैर-परम्परिक संसाधनों से ऊर्जा का क्रय विभिन्न राज्यों में कमोवेश इसी अनुपात में हो । देश के केवल कुछ भागों में इन स्रोतों की व्यापक उपलब्धता के वर्तमान परिदृश्य में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (आरईसी) जैसी उपयुक्त प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार की प्रणाली के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन कम्पनियां परम्परागत विद्युत हेतु निर्धारित दरों पर स्थानीय वितरण लाइसेंसी को विद्युत का विक्रय कर सकती हैं और अन्य वितरण कम्पनियों तथा उपकृत कम्पनियों को प्रमाण-पत्रों का विक्रय करके शेष लागत की वसूली कर सकती हैं ताकि परवर्ती कम्पनियां नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्वों को पूरा कर सकें । वर्तमान में सौर ऊर्जा की विद्युत की

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 20th January, 2011

F. No. 23/17/2009-R&R.—In this Ministry's Resolution F. No. 23/2/2005 R&R (Vol. III) dated 6th January, 2006 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, notifying the Tariff Policy under the provisions of Section 3 of the Electricity Act, 2003, which was subsequently amended vide Resolution dated 31st March, 2008, the following amendment is hereby made :

The following provisions will replace the title of Para 6.4 and contents of Para 6.4(1) :

"6.4 Non-conventional and renewable sources of energy generation including co-generation :

(1) Pursuant to provisions of section 86(1)(e) of the Act, the Appropriate Commission shall fix a minimum percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee for purchase of energy from such sources, taking into account availability of such resources in the region and its impact on retail tariffs. Such percentage for purchase of energy should be made applicable for the tariffs to be determined by the SERCs latest by April 1, 2006.

(i) Within the percentage so made applicable, to start with, the SERCs shall also reserve a minimum percentage for purchase of solar energy from the date of notification in the Official Gazette which will go up to 0.25% by the end of 2012-2013 and further up to 3% by 2022.

(ii) It is desirable that purchase of energy from non-conventional sources of energy takes place more or less in the same proportion in different States. To achieve this objective in the current scenario of large availability of such resources only in certain parts of the country, an appropriate mechanism such as Renewable Energy Certificate (REC) would need to be evolved. Through such a mechanism, the renewable energy based generation companies can sell the electricity to local distribution licensee at the rates for conventional power and can recover the balance cost by selling certificates to other distribution companies and obligated entities enabling the latter to meet their renewable power purchase obligations. In view of the comparatively higher cost of electricity from solar energy currently, the REC mechanism should also have a solar specific REC.

(iii) It will take some time before non-conventional technologies can compete with conventional sources in terms of cost of electricity. Therefore, procurement by distribution companies shall be done at preferential tariffs determined by the Appropriate Commission."

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2011/आषाढ़ 17, 1933
No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2011/ASADHA 17, 1933

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2011

फा. सं. 23/2/2005-आर एंड आर (खंड-V).— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशुल्क नीति अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र(असाधारण), भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के संकल्प फा0सं0 23/2/2005-आर एंड आर (खंड-II), जिसे बाद में दिनांक 31 मार्च, 2008 और दिनांक 22 जनवरी, 2011 के संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया गया है-

निम्नलिखित प्रावधान पैरा 5.1 के प्रावधान को प्रतिस्थापित करेंगे-

जल विद्युत परियोजना के विकासकर्ता के पास, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, सेवा विनियमों के कार्य निष्पादन आधारित लागत के आधार पर उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण कराने का विकल्प होगा।

7.1 (6) सीटीयू/एसटीयू समेत पारेषण विकासकर्ता द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए निवेश आमंत्रित किया जाएगा । केंद्रीय सरकार ने पारेषण सेवा के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2006 की राजपत्र अधिसूचना के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली संबंधी दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं ।

सीटीयू/एसटीयू द्वारा विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के टैरिफ भी पांच वर्ष की अवधि के उपरांत या जब विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी प्रतिस्पर्द्धा लागू करने की सही स्थिति बन गई है (जैसा क पैरा 5.1 में संदर्भित है) प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे ।

लेकिन निम्नलिखित मामलों में प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग से छूट को अपनाया जा सकता है:

(i) 1200 केवी एचवीडीसी लाइन के लिए प्रथम दो प्रयोगात्मक कार्य।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा मामला दर मामला आधार पर यथा विनिश्चय सीटीयू/एसटीयू तात्कालिक स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्य या जो कि एक कम्प्रेस्ड समय-सीमा में किए जाने अपेक्षित हैं ।

(iii) एसटीयू द्वारा अंतर-राज्यिक पारेषण परियोजनाओं को तारीख 6.1.2011 से आगे और 2 वर्ष के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग से छूट होगी ।

धारा 7.1(7) अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए फ्रेमवर्क पर **सीईआरसी के विनियामक के प्रभावी होने के उपरांत**, एसईआरसी द्वारा वोल्टेज, दूरी, दिशा और प्रवाह की मात्रा जैसे कारकों पर विधिवत विचार करते हुए अगले दो वर्षों में अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए समान दृष्टिकोण का क्रियान्वयन करना चाहिए ।

2. ये प्रावधान दिनांक 6.1.2011 से लागू होंगे ।

अशोक लवासा, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

The following provisions will replace the proviso para of para 5.1:

Provided that a developer, of a hydroelectric project, would have the option of getting the tariff determined by the appropriate Commission on the basis of performance based cost of service regulations if the following conditions are fulfilled:

The following provisions will replace the sub para (c) of para 5.1:

c) Concurrence of CEA (if required under Section 8 of the Act), financial closure, award of work and long term Power Purchase Agreement (PPA) (of more than 35 Years) of the capacity specified in (d) below with distribution licensees are completed by 31.12.2015.

The following provisions will replace sub para (6) and (7) of para 7.1:

7.1(6) Investment by transmission developer including CTU/STUs would be invited through competitive bids. The Central Government has already issued tariff based competitive bidding guidelines for transmission service vide Gazette Notification dated 13th April, 2006.

The tariff of the projects to be developed by CTU/STU after the period of five years or when the Regulatory Commission is satisfied that the situation is right to introduce such competition (as referred to in clause 5.1) would also be determined on the basis of competitive bidding.

However, in the following cases the exemptions from competitive bidding route may be adopted:

(i) First two experimental works for 1200 KV HVDC line.
(ii)Works required to be done to cater to an urgent situation or which are required in a compressed time schedule by CTU/STUs as decided by the Central Government on a case to case basis.